सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 04/2010 दायर दिनॉक 13.01.2010

वादी		प्रतिवादीगण
1. किस्तुरी देवी पत्नि स्व. भूराराम 2. ओम प्रकाश दत्तक पुत्र स्व. भूराराम समस्त जाति जाट निवासी तारपुरा, तहसील डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बेगाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी तारपुरा के कायममुकाम– 1/1 श्रीमति देवादेवी पत्नि बेगाराम 1/2 चेनाराम पुत्र बेगाराम 1/3 रामनिवास पुत्र बेगाराम समस्त जाति जाट निवासी तारपुरा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. रामदेवाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी मौलासर जरिये मुख्तार रामनिवास प्रतिवादी संख्या 1/3

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र कुमार माथुर वकील वादी।
2. श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 18.03.2021

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण 1 व प्रतिवादी सं. 1, 9 ता 13 स्व. गुलाराम के वारिसान है। स्व. गुलाराम कि मौजा तारपुरा में अवस्थित खेतो का स्व. गुलाराम की मृत्यु पश्चात ज्येष्ठ पुत्र मोटाराम व छोटा पुत्र चुनाराम शामिल रहे तथा सोनाराम व लिखमाराम दोनो अलग–अलग हो गये। जिससे सोनाराम व लिखमाराम ने तो शुरू में ही अपने 85–85 बीघा भूमि हक बंट में लेकर अलग–अलग रहने लग गये और अपने हिस्से का रिकार्ड इन्द्राज करवा लिया। जिस कारण आगे चलकर सोनाराम [illegible] रामेश्वर ने अपनी खातेदारी सुदा भूमि को प्रतिवादी सं. 8 को बेच दी [illegible] लिखमाराम के वारिसान/उत्तराधिकारी पुत्र रूपाराम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:16:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 04/2010
दायर दिनाँक 13.01.2010, निर्णय दिनाँक 18.03.2021
किस्तुरी बनाम बेगाराम, वगैरा।

बांट ली। जिससे लिखमाराम की भूमि आगे चलकर प्रतिवादी सं. 9 ता 13 में विभाजित होने से वर्तमान में स्व. गुलाराम के बीच के दो पुत्र सोनाराम व लिखमाराम के हिस्से, बंट से संबन्धित विवाद नही है।

स्व. गुलाराम के ज्येष्ठ पुत्र मोटाराम व सबसे छोटा पुत्र चुनाराम शामिल रहे और बड़ा भाई मोटाराम की पत्नि की भतीजी चुनाराम से ब्याही हुई होने से भी कर्ता मोटाराम बड़ा भाई रहा और मोटाराम के ज्येष्ठ पुत्र होने से तथा ज्येष्ठ पुत्र मोटाराम व सबसे छोटा पुत्र चुनाराम के शामिल रहने से राजस्व रिकार्ड में मोटाराम का नाम अकेले का त्रुटि से दर्ज हो गया। जबकी ज्येष्ठ पुत्र मोटाराम व सबसे छोटा पुत्र चुनाराम के शामिल खेत अर्थात वादीगण व प्रतिवादी सं 1 के पैतृक खेत मौजा तारपुरा में खसरा नम्बर 137 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 54 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 304 रकबा 10 बीघा मौजा खाखोली, खसरा नम्बर 252 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा, में से ½ हिस्सा व पुरान खसरा नम्बर 8 रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 229/8, 234/8, 216/8, 228/8, 222/8 है और खसरा नम्बर 25 रकबा 27 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 31.06 बीघा, खसरा नम्बर 225/26 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 238/72 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा है जो कि कुलिया रकबा 178 करीबन है।

उक्त सामिल के खेत का कब्जा काश्त अलग–अलग करते हुये स्व. मोटाराम व स्व. चुनाराम ने बंट कर अलग–अलग कब्जा काश्त करना शुरू कर दिया लेकिन राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त नही करवा सके। तत्कालिन समय बंट व कब्जाकाश्त अनुसार निरन्तर निर्बाध रूप से स्व. चुनाराम व स्व. मोटाराम के उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादी सं. 1 की इस प्रकार काश्त चली आ रही है कि वादीगण के कब्जा काश्त में खसरा नम्बर 25 रकबा 27.03 बीघा, खसरा 31 रकबा 31.06 बीघा, खसरा नम्बर 225/26 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 222/08 मे से 20 बीघा नजरी नक्शा मार्क " ए बी सी डी " अनुसार व खसरा नम्बर 238/72 में से 11 बिस्वा नजरी नक्शा मार्क " अ ब स द " अनुसार वादीगण की निर्बाध [illegible] भूमि पर स्व. चुनाराम के समय से ही पूर्वजो से लेकर चली [illegible] रही [illegible] तथा मार्क "ई" स्थान पर वादीगण के रहवासी [illegible] स्थित है [illegible] वादीगण के कब्जा काश्त के खेतो में से खसरा [illegible] खातेदारी ही वादी संख्या 2 की दत्तक माता वादी सं. 1 किस्तुरी देवी बेवा भूराराम के दर्ज है

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:16:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 04/2010
दायर दिनाँक 13.01.2010, निर्णय दिनाँक 18.03.2021
किस्तुरी बनाम बेगाराम, वगैरा।

जबकी खसरा नम्बर 222/8 कि नजरी नक्शा मार्क "ए बी सी डी" भूमि पर कब्जा काश्त 20 बीघा पर शुरू से ही शांति पूर्वक निर्बाध रूप से चला आ रहा है जिसमें ही वादीगण के रहवासी मकान माई "ई" स्थान पर अवस्थित है तथा खसरा नम्बर 238/72 में से 11 बिस्वा भूमि बाड़ा हेतु वादीगण के कब्जा आधिपत्य में रही है, जिसमें वादीगण के पक्के मकान बने है लेकिन वादीगण के पूर्वज स्व. चुनाराम के अपने ज्येष्ठ भाई मोटाराम के शामिल रहने व मोटाराम के बड़े भाई होने से राजस्व रिकार्ड में मोटाराम के नाम होने से उसके पुत्र प्रतिवादी सं0 1 के त्रुटिवश चली आ रही है जबकी ख.न. 222/8 जिसके पुराने खसरा नम्बर 8 जिसके पुराने ख.न. 8 कर गिरदावरी सम्वत 2031 में भी वादीगण के पूर्वज के नाम 20 बीघा भूमि दर्ज है।

इसी प्रकार प्रतिवादी सं 1 के बंट काश्त में ख.नं. 137 रका 1. 16 बीघा, ख.न. 166 रकबा 54 बीघा 11 बिस्वा, ख.न. 216/8 रकबा 1 बीघा, 228/8 रकबा 11 बिस्वा जो की कुलिया रकबा 90 बीघा 17 बिस्वा रहा जिसमें से मोटाराम के उतराधिकारी प्रतिवादी सं. 1 ने ख.न. 229/8, 234/8, 216/8, 228/8 जो कि पुराने ख.न. 8 का हिस्सा ही को प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं 4 ता 7 को बैचाण कर दी।

इस प्रकार वादीगण स्व. भूराराम पुत्र चुनाराम के उतराधिकारी है तथा शुरू से ही पुराने ख.न. 8 रकबा 31.12 बीघा में से 20 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त निबाध रूप से शांति पूर्वक स्वामित्व चला आ रहा है जिसका प्रमाण स्वरूप पुरानी गिरदावरी की नकल पेश है जिसमें 20 बीघा की कब्जा काश्त भूराराम पुत्र चुनाराम की दर्ज है उक्त पुराने ख.न. 8 के नये ख.न. 222/8 में से नजरी नक्शा का मार्क "ए बी सी डी" पर निर्बाध रूप से पूर्वजों के समय से ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है तथा इसी मार्क "ए बी सी डी" में मार्क "ई" स्थान पर वादीगण के पक्के रहवासी मकान अवस्थित है और स्व. मोटाराम के उतराधिकारी प्रतिवादी सं. 1 के कब्जा में उक्त पुराने ख.न. 8 रकबा 31.12 बीघा में से 11.12 बीघा भूमि पर रहा जिसको प्रतिवादी सं.1 ने प्रतिवादी सं. 4 ता 7 को कुलिया 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि बैचाण कर दी। जिसके ख.न. 229/8, 234/8, 216/8, 228/8 है इस [illegible] यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 के बंट, कब्जा क[illegible] हिस्सा का ख.न. 222/8 में अब वर्तमान में 8 बीघा [illegible] तथा वादीगण के कब्जा काश्त में 20 बीघा 1 बिस्वा ही है। तथा [illegible]गण के कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:16:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 04/2010
दायर दिनाँक 13.01.2010, निर्णय दिनाँक 18.03.2021
किस्तुरी बनाम बेगाराम, वगैरा।

काश्त में 20 बीघा मार्क ''ए बी सी डी'' पूर्व से ही चला आ रहा है जिसमें ही वादीगण के रहवासी पक्के मकान मार्क ''ई'' स्थान पर है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में स्व. मोटाराम व चुनाराम के समय से हुई त्रुटि व गलत चली आ रही है, जिसकी वादीगण व वादीगण के पूर्वजों को जानकारी नही रही जिसका नाजायज फयदा उठाने के लिये नियत में फितुर आने से प्रतिवादी सं 1 ने बाले बाले ही बिना प्रतिफल लिये व बिना कब्जा दिये ही वादीगण को क्षति पहुचानो के लिये प्रतिवादी सं.1 ने अपने दामाद प्रतिवादी सं.2 को 15–20 दिन पूर्व 8 बीघा भूमि का रजि. बैचाण लिखा दिया जो शुरू से ही शुन्य है जबकी वर्तमान मे लगातार वादीगण अपना 20 बीघा भूमि मार्क '' ए बी सी डी'' पर काबिज है और मार्क '' ए बी सी डी'' मे ही मार्क ''ई'' स्थान पर वादीगण के रहवासी मकान है। प्रतिवादी सं 1 ने अपने दामाद प्रतिवादी सं 2 के साथ 5–7 दिन पूर्व वादी के खेत में आया और वादीगण को बेदखल करने की एलानिया धमकीया दी, जिसके पश्चात वादीगण द्वारा जानकारी रिकार्ड प्राप्त करने पर वादीगण को जानकारी हुई कि उसके पूर्वज स्व. मोटाराम व स्व. चुनाराम के समय से त्रुटि चली आ रही है का नाजायज फयदा उठाने की बदनियती से प्रतिवादी सं. 1 ने अपने दामाद प्रतिवादी सं. 2 को बिना प्रतिपल बिना कब्जा बैचाण लिखा जिसमें पड़ोस दर्शित वादीगण के हक, बंट कब्जा काश्त की भूमि के लिखे है और अब वादीगण को बेदखल करने की बदनियती पर आमादा है। जिससे वादीगण के पूर्वजों के समय स`चल आ रहे हक बंट कब्जा काश्त भूमि को प्रतिवादी सं. 1 व 2 ससुर–दामाद अवैधानिक तरीके से हडपना चाहते है। इस प्रकार उक्त पुराने ख.न. 8 के अनुसार इसके नये ख.न. 222/8 में से 20 बीघा भूमि मार्क '' ए बी सी डी'' को जिसमें बने पक्के रहवासी मकान मार्क ''ई'' की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित करने व रिकार्ड दुरूस्ती करने बाबत तथा वादीगण को बेदखल नहीं करने हेतु वादीगण को वाद लाना लाजमी हुआ।

इस प्रकार से ख.न. 238/72 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा बाड़ा में से 11 बिस्वा में वादीगण का ही कब्जा काश्त पूर्वजो के समय से मार्क ''अ ब स द'' अनुसार चला आ रहा है व इसी में मार्क ''ई'' स्थान पर भी वादीगण के पक्के मकान अवस्थित है लेकिन स्व. मोटाराम [illegible]राम के समय से राजस्व में चली आ रही त्रुटि से मोटाराम के वारिस [illegible] नाम चली आ रही है तथा इस खसरा नम्बर का आधा [illegible] व 15 का कब्जा चला आ रहा है इस प्रकार वादीगण के [illegible]त दोनो खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:16:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

222/8 में से 20 बीघा माई "ए बी सी डी" व 238/72 में से 11 बिस्वा मार्क "अ ब स द" कि कब्जा काश्त बंट भूमि बाबत घोषणा खातेदारी, रिकार्ड दुरूस्ती व हक अधिकारों को सरंक्षण, सुरक्षित करने हेतू वाद पत्र को वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाना न्याय संगत व लोक न्याय के पक्ष में है। वादीगण का कब्जा काश्त व पक्के मकान का भी अधिपत्य चला आ रहा है। वाद डिक्री वादी के पक्ष में प्रतिकूल कब्जा स्वामित्व से भी किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण में वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा अनुसार खेत खसरा सं0 222/8 रकबा 28 बीघा 01 बिस्वा वाके सरहद तारपुरा की भूमि में से 08 बीघा 05 बिस्वा भूमि वादीगण के कब्जा काश्त भूमि वादीगण के कब्जा व खातेदारी की रहेगी। उक्त 08 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर वर्तमान में वादीगण का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा है तथा चारों ओर इसकी डोल बंदी की हुई है। उक्त भूमि कुल भूमि में से लगभग पूर्व दक्षिण दिशा की ओर से अवस्थित है। उक्त खसरा नम्बर 222/8 रकबा 28 बीघा 01 बिस्वा ग्राम तारपुरा की भूमि की पृथक से खातेदारी वादीगण अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लेगें। जिनमें प्रतिवादी पक्ष (बेगाराम के उत्तराधिकारीगण) को कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

खसरा सं0 238/72 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम तारपुरा राजस्व भूमि होकर बाडा की भूमि है। जिसमें वाद पत्र के पद सं0 11 "ख" के अनुसार 11 बिस्वा भूमि वादीगण के वास्तविक एवं भौतिक कब्जा अधिकार व उपयोग व उपभोग की है। भविष्य में भी उक्त 11 बिस्वा भूमि वादीगण के ही हक अधिकार व कब्जा की भूमि रहेगी। उक्त खसरा सं0 238/72 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा में से उक्त 11 बिस्वा भूमि की खातेदारी व राजस्व अभिलेख में प्रविष्ठि वादीगण अपने नाम कराने हेतु प्रतिवादी पक्ष (बेगाराम के उत्तराधिकारी) को कोई आपत्ति नहीं रहेगी। इस रूप वादी पक्ष का दावा मृतक प्रतिवादी बेगाराम के कायम मुकाम के विरूद्ध डिक्री कर दिया जाता है तो उक्त प्रतिवादी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी सं0 03 ता 15 के विरूद्ध वादी पक्ष का कोई अनुतोष नहीं है। अतः प्रतिवादी सं0 03 ता 15 के विरूद्ध वादी पक्ष अपना दावा प्रत्यहरित करते है। अतः प्रतिवादी सं0 03 ता 15 का नाम वाद में से डिलीट किया जाता है।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् जरिये वकुलाय मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी [illegible] का अध्ययन् [illegible]

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई [illegible] न[illegible] किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक सहमत है व इसी अनुरूप [illegible] डिक्री किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:16:50 IST
Reason: SelfAttested

सहा[illegible] कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 04/2010
दायर दिनाँक 13.01.2010, निर्णय दिनाँक 18.03.2021
किस्तुरी बनाम बेगाराम, वगैरा।

की इस्तदुआ कर रहे हैं। इसलिए राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है अतः ग्राम तारुपरा के खसरा सं0 222/8 रकबा 28 बीघा 01 बिस्वा में से 08 बीघा 05 बिस्वा पूर्व दक्षिण दिशा की ओर तथा खसरा सं0 238/72 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा में से 11 बिस्वा भूमि का वादीगण को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 18.03.2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:16:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री हनुमानराम, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 04/2010 दायर दिनाँक 13.01.2010

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. किस्तुरी देवी पत्नि स्व. भूराराम 2. ओम प्रकाश दत्तक पुत्र स्व. भूराराम समस्त जाति जाट निवासी तारपुरा, तहसील डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बेगाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी तारपुरा के कायममुकाम– 1/1 श्रीमति देवादेवी पत्नि बेगाराम 1/2 चेनाराम पुत्र बेगाराम 1/3 रामनिवास पुत्र बेगाराम समस्त जाति जाट निवासी तारपुरा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. रामदेवाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी मौलासर जरिये मुख्तार रामनिवास प्रतिवादी संख्या 1/3

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 18.03.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री राजेन्द्र माथुर वकील वादीगण, व श्री ओम प्रकाश पुनिया वकील प्रतिवादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, सरहद तारुपरा के खसरा सं0 222/8 रकबा 28 बीघा 01 बिस्वा में से 08 बीघा 05 बिस्वा तथा खसरा सं0 238/72 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा में से 11 बिस्वा भूमि का वादीगण को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 18.03.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:16:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner